न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मुकदमा नं. 48 / 2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956

उनवान :- राज्य सरकार बनाम जगदीश

निर्णय

दिनांक :- 12.11.18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जेतासर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल जगदीश पुत्र/पत्नी श्री हरिराम जाति नायक निवासी जेतासर द्वारा ग्राम जेतासर के आराजी ख.नं. 1115/655 तादादी 21.26 हैक्टेयर हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु.गोचर भूमि में से 0.08 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2075 में नाजायज कच्चा मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत् नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 12.11.18 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/ सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल जगदीश का उक्त ख.नं. 1115/655 तादादी 21.26 हैक्टेयर गै.मु.गोचर भूमि में से 0.08 हैक्टे./वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल जगदीश अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल जगदीश पुत्र/पत्नी श्री हरिराम जाति नायक निवासी जेतासर द्वारा ग्राम जेतासर के आराजी ख.नं. 1115/655 तादादी 21.26 हैक्टेयर गै.मु. गोचर भूमि में से 0.08 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.08 रूपये का 50 गुणा से 4000 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि.को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।